न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 70/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
अर्जुनराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी रडकाबेरा, पडियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1— भीखा पुत्र बरसिंगा 2— माला पुत्र बरसिंगा 3— गोरधन पुत्र बरसिंगा 4— जगदीश पुत्र जीवणराम 5— सहीराम पुत्र जीवणराम 6— पपुराम पुत्र जीवणराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण गांव रडकाबेरा पडियाल, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27—2—2018 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 269/2015 मे क्रमांक/2018/ कोर्ट/75 पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1— श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2— रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28—9—2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत हुआ जिसके प्रकरण संख्या 269/2015 अनवान साजनराम बनाम भीखा वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 29—12—2017 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर मे पेश हुई थी, जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय मे प्राप्त हुई जिसके अपील संख्या 45/2018 अनवान साजन वगैरा बनाम भीखा वगैरा मे उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 24—9—2018 को निर्णय पारित करते हुए इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को खारीज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—12—2017 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 26—2—18 को अपील प्रस्तुत हो चुकी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने उनके ही द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—12—2017 को अपीलाधीन आदेश क्रमांक/2018/कोर्ट/75 दिनांक 27—2—2018 के द्वारा 2 माह के लिए स्थगित करने का आदेश पारित कर दिया जाने पर उक्त आदेश दिनांक 27—2—2018 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित । रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के प्रकरण संख्या 269/2015 अनवान साजनराम बनाम भीखा वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 29–12–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 45/2018 अनवान साजन वगैरा बनाम भीखा वगैरा मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 24–9–2018 को निर्णय पारित करते हुए अपील को खारीज किया जा चुका है इसलिए वर्तमान अपील मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–2–18 जो कि 29–12–2017 के संदर्भ मे था, जो निष्प्रभावी हो चुका है इसलिए अब उक्त अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा उनके पत्र कमांक/2018/कोर्ट/75 दिनांक 27–2–2018 द्वारा उनके ही न्यायालय के प्रकरण संख्या 269/2015 अनवान साजन वगैरा बनाम भीखा वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 29–12–2017 को दो माह के लिए स्थगित कर दिया, जो सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 5 (2) की पालना किये बिना होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि चूँकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 269/2015 अनवान साजन वगैरा बनाम भीखा वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 29–12–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 45/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 24–9–2018 से अपील खारीज हो चुकी है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 269/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 29–12–2017 को यथावत रखा गया है । इस परिपेक्ष्य मे भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–2–2018 स्वतः ही निष्प्रभावी (इन्फक्सूअस) हो चुका है ।

ऐसे मे अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–2–2018 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

28/9/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर